

उत्तर प्रदेश शासन  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग  
संख्या: 125 / 69-1-98-07 (ग) / 97  
लखनऊ: दिनांक, 27 जनवरी 1998

### कार्यालय — ज्ञाप

गैर सरकारी संस्थाओं/स्वैच्छिक कार्यदारी संगठनों को विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1494 / 69-1-97-69 एन.आर.वाई. / 94 टी.सी. दिनांक 3.10.97 द्वारा राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया था। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया है कि विभाग द्वारा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सेवी स्वैच्छिक संस्थाओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाय। यह समिति समय-समय पर संस्थाओं के क्रिया-कलापों तथा शासन द्वारा उन्हें दी गई, वित्तीय सहायता के सदुपयोग एवं उन संस्थाओं के विरुद्ध समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों आदि की नियमानुसार जांच करेगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

- |   |       |
|---|-------|
| 1. शासन का एक प्रतिनिधि   | सदस्य |
| 2. सूडा मुख्यालय का एक प्रतिनिधि  | सदस्य |
| 3. सम्बन्धित जनपद के जिला नगरीय विकास अभिकरण<br>के परियोजना निदेशक, अधिकारी, परियोजना अधिकारी | सदस्य |

उक्त समिति में नामित होने वाले सदस्य राजपत्रित श्रेणी दो से कम नहीं होंगे। समिति अपनी जांच आख्या संस्तुति सहित सीधे शासन की उपलब्ध करायेगी। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

सुबोध नाथ ज्ञा  
प्रमुख सचिव

### संख्या 125 / 69-1-98 (ग) / 97, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. (सूडा) को इस संस्तुति के साथ प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार गठित समिति के लिए सूडा से एक अधिकारी को नामित करके सूचना शासन का उपलब्ध कराये।
- समस्त जनपदों के अध्यक्ष/जिला अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना, अधिकारी, जिला नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौँडियाल)  
संयुक्त सचिव।